













शहर &gt;&gt; अपडेट

विभिन्न सइक  
घटनाओं में दो की मौत  
हजारीबाग : हजारीबाग  
मुफ़्फिल थाना क्षेत्र के मेरु  
निवासी मनोहर प्रसाद 58  
वर्ष के पिकअप वैन ने 15 अप्रैल  
में चैपेट में जिससे मोके  
पर ही उनको मौत हो गई।  
उन्हें त्वरित शेख बिहारी  
मेडिकल कॉलेज अस्पताल  
लाया गया जहां चिकित्सकों  
ने उन्हें मृत घोषित कर  
दिया। वाहन संख्या एचएच  
024एन 5538 ने मनोहर  
प्रसाद अपने बाइक को चालू  
करना चाह रहे थे।

सिटी अपडेट्स &gt;&gt;

निजी जीमीन को आपकी देख भाव  
अपनाते हुए पड़ोसी मठ का जीमीन  
कहकर कर रहे हैं परेशान : सुनील  
इचाक : इचाक सुनील मेहता  
गुजराती अशोक ने बाइक  
टाक्रुर, विनय कुमार राम ने  
प्रेस विजाती जीमीन करते हुए  
कहा कि पड़ोसी लोगों ने हमें  
बेवजह परेशान कर रहे हैं।  
पारसी मोज के अंतर्गत पड़ने  
वाला खाता संख्या 231 प्लॉट  
संख्या 1196 भगवती मठ के  
की भूमि है। जबकि खाता  
संख्या 353 और 354 प्लॉट  
संख्या 1010 संख्या 1485  
1486 1489 1490 1491 और  
1497 के अंतर्गत 1 एकड़ 97  
डिस्मिल बकाशत सर्वे खतियान  
रुद्धनदं पाठां और बुद्धन  
पाठक के नाम से खतियान  
दर्ज है। जिसका लगान भू  
स्वामी देते ही आ रहे बावजूद  
इसके चंद लोगों द्वारा जीमीन के  
खरीदार को खाता नंबर  
353,354 की भूमि को  
भगवती मठ के जीमीन बता कर  
बेवजह परेशान किया जा है।  
जी अनुचित है। हाल के दिनों  
में बड़दार्दी पांडे के अलावा अन्य  
लोगों के द्वारा भगवती मठ  
जीमीन के सीमांकन को लेकर  
एसडीओ और भूमि समाहता के  
पास आपत्ति दर्ज कराया  
था जीमीन के आलोक में इचाक  
सीओ को भगवती मठ के भूमि  
का मापी करा कर मठ की  
भूमि के सीमांकन का आदेश  
दिया था। आदेश के आलोक में  
भी कोई माफी कराकर  
भगवती मठ की भूमि का  
सीमांकन कर दिया गया।

संस्कृत >> अपडेट्स  
डायवर्सन नहीं बनने के  
कारण शाराब लदा हुआ  
पिकअप पलटा

बड़कागांव : बड़कागांव के  
कांडतरी निमानाधीन पुल के  
पास डायवर्सन नहीं बनने के  
कारण बियर शराब लदा हुआ  
पिकअप (जे एच 04 एच  
6370) पलट गया। जिससे  
चालक पिंट महात्र धायल हो  
गया। एवं 112 से अधिक पैटी  
बोतले टूट गया जिससे दो  
लाख का नुकसान हो  
गया हालांकि कुछ बोतले  
स्थानीय खुपक ले जाने का  
प्रयास किए, लेकिन उप प्रमुख  
बचन देव कुमार के डांट-डफट  
के कारण नहीं ले पाए। यह  
घटना बुधवार की रात 11:30  
बजे की है। सूचना मिलते ही  
बड़ा का गॉप युलिस घटनास्थल  
पर पहुंची। तपवासन बचे हुए  
शराब की पैटी को दूसरी गाड़ी  
से थाना ले आई जै एस बीसी  
एल कॉन्सोर्टियम द्वारा बियर शराब  
का ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा  
था। कंपनी के कर्मचारियों ने  
बताया कि 1225 पैटी बियर  
शराब लदा हुआ था। पिंट महतों  
ने बताया कि हजारीबाग के  
वानों में जै एस बीसी एल के  
बियर शराब का 225 पैटी  
पिकअप में लाउड किये थे।

हजारीबाग से बड़कागांव होते  
हुए रामगढ़ बरकाकाना रांची  
जाना था बालक पिंट महतों  
ने बताया कि पीपुली रेखा  
कुमारी की तीव्रता खरब थी,  
सूचना मिलने पर में अपनी बैटी  
से मिलते हुए रामगढ़  
बरकाकाना जाना चाहता  
था, लेकिन रास्ते में ही कांडतरी  
के पुल के पास 20-25 फीट  
रास्ते में चौदोन होने के  
कारण मेरा लॉर्ड पिकअप गाड़ी  
पीछे झूमने लगा। मैं काफी ब्रेक  
देता रहा लेकिन असंतुलन  
होकर गाड़ी पलट गई। सूचना  
मिलने पर उप प्रमुख वर्जन देव  
कुमार घटनास्थल पर पहुंचे एवं  
कुछ बोतले ले जाने वाले युवकों  
को मना किया। बचन देव कुमार  
एवं कुछ गार्मीण रात भर  
शराब लदे हुए पिकअप  
देखभाल किया। गुरुवार के  
सुबह 8:00 बजे पलटी हुई  
पिकअप को जीसीसी द्वारा  
निकाला गया।

बैठक

सही गुणवत्ता और तय मानक वाला पशु उपलब्ध कराने के लिए पहल करने का निर्देश दिया

# कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक

► केसीसी के माध्यम से  
किसानों को ऋण उपलब्ध  
कराने के लिए संबंधित

► योजना से और किसानों  
को जोड़ने के लिए शिविर  
आयोजित करने का निर्देश  
उपायुक्त ने दिया

राष्ट्रीय खबर

हजारीबाग : हजारीबाग कृषि,  
पशुपालन, बागवानी, आत्मा आदि  
विभागों की समीक्षा बैठक उपायुक्त  
द्वारा गया निवासी अशोक  
टाक्रुर, विनय कुमार राम ने  
प्रेस विजाती जीमीन करते हुए  
कहा कि पड़ोसी लोगों ने हमें  
बेवजह परेशान कर रहे हैं।  
पारसी मोज के अंतर्गत पड़ने  
वाला खाता संख्या 231 प्लॉट  
संख्या 1196 भगवती मठ के  
की भूमि है। जबकि खाता  
संख्या 353 और 354 प्लॉट  
संख्या 1010 संख्या 1485  
1486 1489 1490 1491 और  
1497 के अंतर्गत 1 एकड़ 97  
डिस्मिल बकाशत सर्वे खतियान  
रुद्धनदं पाठां और बुद्धन  
पाठक के नाम से खतियान  
दर्ज है। जिसका लगान भू  
स्वामी देते ही आ रहे बावजूद  
इसके चंद लोगों द्वारा जीमीन के  
खरीदार को खाता नंबर  
353,354 की भूमि को  
भगवती मठ के भूमि का  
सीमांकन कर दिया गया।



लाभुकों के चबन में पारदर्शिता  
लान, उनको समय समय पर इन  
क्षेत्र के नवीनतम तकनीक के  
उपयोग के बारे में प्रशंसित कर  
जायगलक करने एवं योजना के  
लाभुकों की सतत निगरानी कर  
विभाग से जोड़ कर रखने को  
कहा।

राज्य सरकार की महत्वकांशी

निर्देश दिया। बागवानी विभाग को  
मानसून से पूर्व समाहरणलय,  
परिसदन, सरकारी आवास आदि  
सरकारी भवन परिसर में अंतर्न  
फलिंग योजना के तहत फलदार,  
औषधीय पौधा का रोपण करने  
को कहा।

आत्मा को गोवर्धन योजना के तहत  
अपशंक प्रबंधन हेतु गोवर व वायो  
गैस योजना के बारे में लोगों को  
जागरूक करने के लिए वर्कशॉप  
आयोजित करने का निर्देश दिया। मोटा  
निराज की खेतों को बढ़ावा देने के  
लिए किसानों का चबन का उत्तम  
क्रिस्मा बीव करते लेने का निर्देश दिया  
से और योजना के उत्तम वित्त सुनिश्चित की जा  
सके। इस लिए चालन दिवस के उपलक्ष्य में पीडीएस दुकानदारों  
द्वारा लाभुकों के बीच चालन दिवस का वितरण किया गया। जिसका  
निरीक्षण करने पर प्रखंड के शत-प्रतिशत  
योग्य लाभुकों तक राशन/खाद्यान्न की उत्तमता सुनिश्चित की जा  
सके। इस लिए चालन दिवस के उपलक्ष्य में पीडीएस दुकानदारों  
द्वारा लाभुकों के बीच चालन दिवस का वितरण किया गया। जिसका  
निरीक्षण करने पर प्रखंड के शत-प्रतिशत  
योग्य लाभुकों तक राशन/खाद्यान्न की उत्तमता सुनिश्चित की जा  
सके।

अमर शहीद नायक संदीप पाल स्मारक  
लोकार्पण 27 मई को होगा

हजारीबाग : हजारीबाग वित्त 27

मई 2022 को लालाख के तुराकू  
सरवर में हए सड़क दुर्घटना में 7  
जवानों की जान चली गई थी।

इसमें हजारीबाग खेल गाव निवासी  
32 वर्षीय संदीप कुमार पाल ने भी

मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश

के नाम अमर बलदार कर रहा थे।

जिसके बाद से ही संदीप कुमार

पाल के नाम स्मारक बनाने की मांग हजारीबाग के जनता द्वारा की जा रही थी, परंतु सरकार एवं प्रशासन के बीच लड़ाक रासा था। नव डाक खड़ काँडेंसन के रास्ट्रीय अध्यक्ष कीर्तीराणी का जान द्वारा जीमीन के बीच करते हुए आपूर्ति पदाधिकारी अशोक प्रखंड के कई पीडीएस दुकान का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि सभी पीडीएस दुकान को भ्रमण किया गया। आपूर्ति पदाधिकारी अशोक प्रखंड के लिए बाल दिवस के उपलक्ष्य में विदेशी लोडिंग द्वारा जीमीन की जान द्वारा लड़ाक के बीच चालन दिवस का वितरण किया गया। जिसका निरीक्षण करने पर प्रखंड के शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों तक राशन/खाद्यान्न की उत्तमता सुनिश्चित की जा सके।

पाल के नाम स्मारक बनाने की मांग हजारीबाग के जनता द्वारा लड़ाक की जान द्वारा लड़ाक के बीच लड़ाक रासा था। इस लिए बाल दिवस के उपलक्ष्य में विदेशी लोडिंग द्वारा जीमीन की जान द्वारा लड़ाक के बीच चालन दिवस का वितरण किया गया। जिसका निरीक्षण करने पर प्रखंड के शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों तक राशन/खाद्यान्न की उत्तमता सुनिश्चित की जा सके।

संसद शहीद नायक संदीप पाल स्मारक संदीप पाल निर्सिंह हाम से 1500 और जिले से 92 पैक्सों का लाइव युद्ध के रूप में स्थापित करते हुए उन्हें क्रेडिट प्लस एस अप्रोचे में किसानों के लिए प्रथम सुविधादाता के रूप में विकसित करने की योजना बनाइ गयी है। इस वर्ष पूरे प्रदेश से 1500 और जिले से 92 पैक्सों के लाइव युद्ध स्टेट एंड क्रेडिट प्लस एस के लिए बाल दिवस का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत सभी पैक्सों के बीच लाइव युद्ध स्टेट एंड क्रेडिट प्लस एस के लिए बाल दिवस का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत डिजिटाइजेशन के अंतर्गत प्रयोग के लिए बाल दिवस का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत डिजिटाइजेशन के अंतर्गत प्रयोग के लिए बाल दिवस का वितरण किया गया। योजना के अंतर्गत डिजिटाइजेशन के अंतर्गत प्रयोग के लिए बाल दिवस का वितरण किया गया। योजना के



शहर &gt;&gt; अपडेट

पीएमजे केवाई  
की कमेटी घोषित

कुड़ूः प्रधानमंत्री जनकर्यालयकारी जागरूकता अभियान के लोहरदगा जिला अध्यक्ष टिकू महतो के निर्देश पर गुरुवार को पीएमजे केवाई के मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी ने अपने कमेटी में अधिकारी पद के लिए लखनऊ राम, प्रमोद उरांव, कोषार्याक्ष पद के लिए कमलेश दुबे मीडिया प्रभारी को लिए मनोहर ठाकुर सह मीडिया प्रभारी के लिए रंजीत कुमार एवं कार्यसमिति सदस्य में महावीर भगत, बुजनल महतो का चयन किया गया।

स्थिर  
अपडेट्स >>

अवैध रूप से विस्फोटक रखने एवं खारें खारें विक्री करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

कोडरमा : अवैध रूप से विस्फोटक रखने एवं खारें खारें विक्री करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया है। कोडरमा थाना काड संख्या 176/14 अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने उसका खारें खारें विक्री करने के मामले के आरोपी महारव यादव पिटा लीला यादव लखीवारी के मामले की सुनवाई पाते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीव्री तरुण कुमार की अदालत ने अंडर संवक्षण 3 (ए) एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार जुमार्ना लगाया गया। जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी। वही अंडर संवक्षण 4/ 5 एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार जुमार्ना लगाया गया। जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी। वही अंडर संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।

संक्षिप्त &gt;&gt; अपडेट्स

पिकअप गाड़ी

अनियन्त्रित होकर

पलटी, चालक बचा

कोडरमा : बुधवार को नौवा

माइल के समीप महिंद्रा प्रकाश के पेले गाड़ी, हालांकि घटना में चालक बाल-बचा।

जानकारी के अनुसार महिंद्रा पिकअप गाड़ी को ओंजा जा रहे थे।

नोवामाइल के पास अनियन्त्रित होकर पलट जाने से चालक को हल्की फूल्की चोट लगी है।

इसकी सूचना पाकर पुलिस ने पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।

डालसा में मन का

मिलन परवाड़ा 29 से

गुमला : झालसा, रांची के आदेशनुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अय्यराज डालसा, गुमला के मार्गदर्शन में आगामी 29 मई से 14 जून तक मन का मिलन परवाड़ा का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गुमला के द्वारा किया जायगा।

कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य पक्षकारों तथा लोगों को मध्यस्थित के साथ लोगों के विषय में जागरूक करना है तथा डालसा द्वारा गठित दिमों के द्वारा लोगों को उनके लिए अध्ययन कुदमा पूर्व मामलों के संबंध में मध्यस्थित के संबंध में परामर्श तथा सुझाव देना है। डालसा सिविय द्वारा इस संबंध में बताया गया कि केयन का मुख्य उद्देश्य लोगों में मध्यस्थित की विशेषताओं और लाभों की जानकारी देना है तथा यह बताना है कि इस तरह मध्यस्थित के द्वारा पक्षकार अपने न्यायालय में लिखित विवादों तथा मुकदमा पूर्व मामलों का निपटारा दोनों पक्ष आपी सहमति से अपने बहुमूल्य समय, धन तथा संबंधों की रक्षा करते हैं। डालसा सिविय ने आगे बताया कि पक्षकारण तथा आम जनता व्यवहार न्यायालय गुमला में प्रातः 7:00 बजे लकड़ 12:00 बजे तक आकर अपने-अपने मामलों में सिविय डालसा, पुलिस अधिकारीओं से डिक्टेट के अधिकारीओं से

प्रदर्शन

ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों से हो रहा खिलवाड़ः संजय

# एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया

► ओमप्रकाश सिंह ने कहा की आरक्षण की नीति समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए

► ओबीसी जाति के अंतर्गत है जिसे 27 % आरक्षण अधिकार मिलना चाहिए

राष्ट्रीय खबर

लोहरदगा: भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा लोहरदगा के जिला अध्यक्ष संजय चौधरी की अध्यक्षता में झारखंड सरकार के विस्फोटक रखने एवं खारें खारें विक्री करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास कोडरमा : अवैध रूप से विस्फोटक रखने एवं खारें खारें विक्री करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया है। कोडरमा थाना काड संख्या 176/14 अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने उसका खारें खारें विक्री करने के मामले के आरोपी महारव यादव पिटा लीला यादव लखीवारी के मामले की सुनवाई पाते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीव्री तरुण कुमार की अदालत ने अंडर संवक्षण 3 (ए)

एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए जुमार्ना लगाया गया। जिसमें मध्यस्थित की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त संवक्षण 414 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जुमार्ना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त संवक्षण 4 एवं एकसप्लाईसिव एकट के तहत द





